

पंजीकृत

प्रेषक,

निदेशक,
डेयरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी (नैनीताल)।

सेवा में,

सहायक निदेशक/आहरण वितरण अधिकारी,
डेयरी विकास विभाग उत्तराखण्ड,
पिथौरागढ़।

पत्रांक 4198-203 / 0202 / म0डे0वि0सामा0 / बजट आवं0 / 2024-25 दिनांक 21 जनवरी 2025
विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या -31 के लेखाशीर्षक- 2404- डेयरी
विकास, 102 -डेयरी विकास परियोजनायें, 03-महिला डेयरी विकास योजना
(टी0एस0पी0) में धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 513 / XV-2/2024/01(07)/2018 दिनांक 09
जनवरी, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 में 03-महिला डेयरी विकास
योजना (टी0एस0पी0) अन्तर्गत, कार्यालय निदेशक, महिला डेरी विकास परियोजना उत्तराखण्ड,
अल्मोड़ा के पत्र संख्या 398-400 दि0 17 जनवरी 2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी फांट के
अनुसार सुपरवीजन, मॉनीटरिंग एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन (वेतन मद) में जनपद पिथौरागढ़ को रू0
1,05,500/- (रू0 एक लाख पांच हजार पांच सौ मात्र) का आवंटन निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों
के अधीन किया जाता है।

1. सुपरविजन, मॉनीटरिंग मद की धनराशि अनुसूचित जनजाति वर्ग के कार्मिकों को जो कि समितियों के पर्यवेक्षण अथवा कार्यालय में कार्यरत है, के वेतन-भत्तों का भुगतान किया जा सकता है। यह धनराशि दुग्ध समितियों हेतु व्यय नहीं की जायेगी।
2. धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहाँ कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
3. बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या सहित सूचना प्रतिमाह की 03 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0-04 पर निदेशालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।
4. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाणक, भौतिक एवं वित्तीय प्रगति विवरण निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय।
5. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का आहरण एवं व्यय करते समय वित्तीय हस्त पुस्तिका में उल्लिखित नियमों एवं क्रय संबंधी शासनादेशों का पालन किया जाय। धनराशि का कोषागार से एकमुश्त आहरण न कर समय-समय पर आवश्यकतानुसार ही आहरण किया जाय।
6. वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के वर्णित शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. विभिन्न मदों में व्ययभार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जायेगी एवं कोई भी भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जायेगा।

कमशः 2



IFMS
Uttarakhand

Print Date:-25/Jan/2025 01:23 PM

**बजट आवंटन वित्तीय वर्ष
(2024-2025)**

Signature Not Verified

Digitally signed by: Mr Naveen Chandra
Bahuguna
Reason :HOD E-Approval
Location: Cyber Treasury
Date and Time: 25-01-2025 13:23:33

Head of Department : Director Dairy Development (2353)
Treasury-Pithoragarh(3800)
DDO-Assistant Director Dairy Development Pithoragarh(2353)

आवंटन पत्र संख्या -
अनुदान संख्या - 031
लेखा शीर्षक -

आवंटन आई डी - H25010310032
आवंटन पत्र दिनांक - 25-JAN-2025

2404	डेयरी विकास	00	-
102	डेरी विकास परियोजनाएं	03	महिला डेरी विकास योजना
00	-		

2	4	0	4	0	0	1	0	2	0	3	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Voted

क्रम	मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग
1	56-सहायक अनुदान (समान्य गैर वेतन)	146000	105500	146000	251500
	योग	146000	105500	146000	251500

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes - Rs. 1,05,500 (Rupees One Lac Five Thousand Five Hundred Only)

Batch ID : DIS:2353:2353:2501:0026

Approval Status : e-Sign letter